

न्यायालय भीमन रेवन्यू बोर्ड जवळकर

सं. १२००/११/१५

दस्तावेज २४५-१-१५

Pravara

सविता मोटिया - उपीगावी
निर्मा - अमलकर
विरुद्ध - सविता मोटिया

जिल्हा न्यायालय
जवळकर
जिल्हा न्यायालय
जवळकर

कर्ण इन्द्र मोहन : प्रत्यक्षी -

भविष्य पत्र वारि प्रकरण में पुनःसुधार में स्थापित
किमे जाने वाक्य

निगरानी कर्ता निम्नानुसार विवरण देती है

- ① यह कि उक्त प्रकरण कावचीप न्याय के समक्ष दिनांक २१/११/१५ के प्रारम्भिक तर्क हेतु नियत है।
- ② यह कि उक्त प्रकरण में काउन्सिल के समक्ष स्थापना के साक्ष्य लिखत समक्ष पर उपस्थित नहीं हो पाया है।
- ③ यह कि उक्त प्रकरण को उच्च फीरी में लाया कर रिकॉर्ड गया है।

प्रमाण

अतः माननीय न्यायालय से प्रावना है कि उक्त प्रकरण के पुनःसुधार में स्थापित किये जाने की कृपा की जाए।

R/S

जवळकर
दिनांक - २१/११/१५

Pravara
विभागाध्यक्ष
न्यायालय
जवळकर

284. 2/15

30.3.16

कावेदन की कोर से कोर उपस्थित नहीं।
 पिछले पेशी पर उनके अधिवक्ता उपस्थित
 थे। कावेदन से उनके अधिवक्ता को समझ-
 समझ पर तीन बार आवाज लगाकर उन्हें
 दिखा कि उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
 अतः प्रकाश आनी अनुपस्थिति के कारण अदम्य
 के समझ समझ से प्रकाश आनी के कारण

[क. प. उ.]

सदस्य

के